न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 24 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 113)	04.08.2025	06.10.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक
रसद कार्यालय, हिण्डोली।

— प्रार्थी

बनाम

श्री लोकेश शर्मा आ. गोपाललाल शर्मा,
उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत हिण्डोली
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा 519.18 किलोग्राम गेहूँ को राजसात कर निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पंजिका क्रमांक 24 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025 / 113 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक श्री इमरान खान उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु बाद में अप्रार्थी या उसके अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 30.10.2019 को माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी बून्दी एवं प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत हिण्डोली पहुचकर बन्द मिली दुकान का ताला सीलबंद किया गया। दिनांक 31.10.2019 वक्त निरीक्षण दुकान पर उचित मूल्य दुकानदार श्री लोकेश शर्मा उपस्थित मिला। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 807/2000 प्रस्तुत किया गया। उचित मूल्य दुकान के स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहू 212 कटटे स्टॉक है, जबकि उचित मूल्य दुकान का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर स्टॉक 222 कट्टे गेहूँ पाया गया, जो कि 10 कट्टे (519.18 किलोग्राम) ज्यादा पाया गया। अधिक पाये गये गेहूं को जब्तराज किया जाकर निकटतम उचित मूल्य दुकानदार श्री पुष्पेन्द्र सिंह आ. हरीशसिंह मित्तल ग्राम पंचायत अमरत्या तहसील हिण्डोली को सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 व इसके तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पेरोकार सरकार द्वारा उक्त जप्तशुदा 10 कटटे (519.18 किलोग्राम) गेहू को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया, जिससे ज्ञात हुआ है कि दिनांक 31.10.2019 को जिला रसद अधिकारी बून्दी एवं प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा उचित मूल्य दुकान हिण्डोली पर मौके पर पहुँचकर गेहू का स्टॉक रजिस्टर से भौतिक सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि स्टॉक में बीपीएल योजना में 5023 कि.ग्रा. एवं एपीएल योजना के 6043.700 कि.ग्रा. कुल 11066.700 किलोग्राम गेहूं दर्ज है, जो कुल 212 कट्टे होने चाहिए थे जबकि मौके पर प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर वहां गेहू का स्टॉक 222 कट्टे पाया गया। इस प्रकार 10 कट्टे गेहू अधिक पाया गया। ऐसे में अवैध रूप से भण्डारित 519.18 किलोग्राम गेहूं को जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री पुष्पेन्द्र सिंह आ. हरीश सिंह ग्राम पंचायत अमरत्या तहसील हिण्डोली को सुपुर्द किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि राशन का गेहूं आवश्यक वस्तु होने से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा चयनित राशनकार्ड धारकों को अनुदानित दर पर निर्धारित मात्रा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किया जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हिण्डोली में 10 कटटे (519.18 किलोग्राम) गेहू स्टॉक रजिस्टर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

के अनुसार स्टॉक से अधिक पाया गया है। उक्त उचित मूल्य दुकान पर 10 कटटे (519.18 किलोग्राम) गेहूं कहां से व कैसे आया यह विचारणीय प्रश्न है। अप्रार्थी की दुकान से जप्त सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण के लिए थी जो समय पर उपभोक्ताओं को वितरण नहीं की गयी। सामग्री की मात्रा जो दुकान में पायी गयी उस पर गवाहान के हस्ताक्षर है। उक्त विवेचन से यह प्रकट है कि अप्रार्थी की मंशा कालाबाजारी करने की रही है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक प्रथम नियत पेशी दिनांक 26.11.2019 को उपस्थित न्यायालय आ चुके है किन्तु 5 वर्ष 09 माह तक अनेकानेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया तथा बाद में उपस्थित न्यायालय नहीं आई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेपों पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 519.18 किलोग्राम गेहूँ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 519.18 किलोग्राम गेहूं को नियमानुसार उचित माध्यम से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवावें। उक्तानुसार तत्काल पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी